न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/575

रामकुवार आयु 57 वर्ष आत्मज श्री पन्ना जी जाति मीणा निवासी सेदडी तहसील एंव जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती धन्नी आयु 80 वर्ष विधवा जयलाल जाति मीणा निवासी चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. रामरेख आयु 49 वर्ष पुत्री जयलाल पत्नी धनराज जाति मीणा निवासी चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 01.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में पुराना खसरा नम्बर 105 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर विकास कार्य होने के पश्चात् नवीन खसरा नम्बर 547 रकबा 10 बीघा 12 बिस्व खसरा नम्बर 495 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कायम किये गये हैं । विकास कार्य पश्चात् खसरा नम्बर 547 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा को ग्राम गुडला में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तथा खसरा नम्बर 495 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा को ग्राम सेदडी तहसील बून्दी में दर्ज किया गया । उक्त भूमि के खातेदार जयलाल की पत्नियॉ श्रीमती धन्नी बाई व गंगा बाई तथा पुत्री रामरेख राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हैं । वादग्रस्त आराजी 09 अप्रेल, 1981 को श्रीमती गंगा व श्रीमती धन्नी एवं कुमारी रामरेख अवयस्क ने संरक्षक की हैसियत से वादी के पक्ष में बेचान कर दिया । उक्त बेचान के आधार

पर उक्त भूमि क्रेता के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है किन्तु पुराने खसरा नम्बर 105 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा का ही भाग नवीन खसरा नम्बर 495 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा ग्राम सेदडी के क्षेत्र में जो तहसील बून्दी में है अंकित हो जाने से वादी के खाते में अंकित नहीं सकी थी । उक्त भूमि पर वादी बेचान की दिनांक से निरन्तर काबिज काश्त हैं और कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि के खातेदार बन चुका है ।

3. अतः नवीन खसरा नम्बर 495 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा ग्राम सेदडी तहसील व जिला बून्दी का खातेदार कृषक वादी को घोषित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड से श्रीमती गंगा, श्रीमती धन्नी एवं रामरेख उर्फ ग्यारसी का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खाते में अंकित की जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ताकत के बल पर उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे, कब्जा नहीं करे एवं अन्य किसी को अन्तरण नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.07.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित कर दिया । लोक अदालत में पक्षकार भी उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट दिनांक 11.09.2017 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तब पता चला कि दिनांक 15.07.2017 को निर्णय हो गया परन्तु क्या निर्णय हुआ बताया नहीं । अपीलान्ट ने दिनांक 11.09.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया और दिनांक 24.10.2017 को नकल मिली जब जाकर पता चला कि वाद खारिज हो गया । उक्त अपीलाधीन निर्णय की अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशनर दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य में चल रही थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं किया और उसी दिन प्रकरण का निस्तारण कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई, अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई जानकारी नहीं थी बिना प्रक्रिया अपनाए दावे को

खारिज किया है जबकि अपीलान्ट ने अपने दावे को सिद्ध कर दिया था । इस समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय ने पेश किये गये समस्त दस्तावेजात का विवेचन एवं विश्लेषण किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ और इसमें गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया । पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा